04.03.22

न्यायालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

अनुमति वाद संख्या– 37/2021

गोरख भुईयां (विक्रेता)

बनाम्

सुमन देवी (क्रेता)

आदेश

प्रस्तुत वाद गोरख भुईयां, पिता– स्व0 बैजु भुईयां, ग्राम– राजहार, पो0+थाना+जिला– लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1) (बी) के अंतर्गत क्रेता सुमन देवी, पति– सत्येन्द्र कुमार पासवान, ग्राम– परसही, पो0– लेधपा, थाना+जिला– लातेहार के साथ मौजा– बारियातु खालसा, खाता संख्या–71, प्लॉट संख्या– 122 रकबा– 0.68 ए0 भूमि बिक्री हेतु अनुमति के लिए दिये गये आवेदन पर वाद की कार्यवाही प्रारंभ किया गया। अनुमति के लिए विक्रेता द्वारा आवेदन में बिक्री से संबंधित प्रस्तावित भूमि का जांच प्रतिवेदन की मांग अंचल अधिकारी, लातेहार से की गयी।

अंचल अधिकारी, लातेहार के पत्रांक– 573 दिनांक 03.11.2021 से अनुमति से संबंधित भूमि का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसका अवलोकन किया। अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य हैं तथा दोनों एक हीं जिला क्षेत्र के निवासी हैं। दोनों अनुसूचित जाति दम्पति के उत्पन्न संतान है। आवेदक को कर्ज अदायगी के लिए रूपये की सख्त आवश्यकता है, जिसका बन्दोबस्त बिना जमीन बिक्री के हो पाना संभव नहीं है। बिक्री की जानेवाली भूमि विक्रेता का रैयती भूमि है तथा भूमि की जमाबन्दी विक्रेता के पिता के नाम से चलता है। अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक द्वारा धारित भूमि का रकबा– 3.41 एकड़ है, जिसमें से आवेदक रकबा– 0.68 (शून्य दशमलव छः आठ) ए0 भूमि क्रेता सुमन देवी के साथ बिक्री करना चाहतें है। आवेदक द्वारा अनुमति के लिए प्रस्तावित भूमि के बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास रकबा– 2.73 एकड़ भूमि शेष बचता है। अंचल अधिकारी, लातेहार के प्रतिवेदन के अनुसार अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि विक्रेता का रैयती भूमि है। आवेदक द्वारा बिक्री हेतु अनुमति के लिए प्रस्तावित भूमि का आम इस्तेहार निर्गत किया गया, जिसके विरूद्ध किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति आवेदन नहीं दिया गया है। साथ ही अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा जांच प्रतिवेदन में भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अनुशंसा किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, लातेहार के अनुशंसा के आधार पर बिक्रेता गोरख भुईयां, पिता– स्व0 बैजु भुईयां, ग्राम– राजहार, पो0+थाना+जिला– लातेहार द्वारा मौजा– बारियातु खालसा, खाता संख्या–71, प्लॉट संख्या– 122 रकबा– 0.68 ए0 भूमि का क्रेता सुमन देवी, पति– सत्येन्द्र कुमार पासवान, ग्राम– परसही, पो0– लेधपा, थाना+जिला– लातेहार के साथ छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1) (बी) के अंतर्गत बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by Abu Imran
Date: 2022.04.08 14:12:16 +05:30
Location: 10.93.47.14

उपायुक्त, लातेहार।

उपायुक्त, लातेहार।